

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
वाणिज्य कर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर, फतेहपुर, झाँसी, वाराणसी,
जौनपुर, बलिया, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बलरामपुर,
कासगंज, हापुड़, सम्भल /

मुख्यालय के पत्र संख्या-466 दिनांक 29.08.2022 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-07-30प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद संख्या-42-अन्य व्यय के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जाता है। कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन करते हुये आवंटित बजट की सीमा तक सीमित रखें।

कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत करायें। यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये। अतः सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उक्त आवंटित धनराशि किसी भी दशा में बैंक/पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट-आवंटन पंजिका के पृष्ठ संख्या-16 पर कर ली गयी है।

संलग्नक-: यथोपरि।

(शैलेश गिरि)

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू0प0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1:-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ कलेक्ट्रेट, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर, फतेहपुर, झाँसी, वाराणसी, जौनपुर, बलिया, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, प्रतापगढ़, सिविल लाइन प्रयागराज, बलरामपुर, कासगंज, हापुड़, सम्भल।

2:-उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी0एल0सी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(शैलेश गिरि)

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Allotment Grid Report



वित्तीय वर्ष:-2022-2023

आवंटन दिनांक-01/09/2022

प्रेषण संख्या:- 481
 आवंटन आदेश संख्या:- 054-B-1-5-BUDGET-2022-2023-
 अनुदान संख्या:- 89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2040 - विक्री,व्यापार आदि पर कर(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 800 - अन्य व्यय
 07 - उ.प्र. पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	अलीगढ़-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
2	आगरा-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
3	कानपुर नगर-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 5000000	2000000 5000000
4	फतेहपुर-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
5	झाँसी-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
6	वाराणसी-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
7	जौनपुर-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 3000000	1000000 3000000
8	बलिया-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
9	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
10	उन्नाव-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
11	रायबरेली-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 5000000	4000000 5000000
12	सीतापुर-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
13	हरदोई-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000

अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
14 प्रतापगढ़-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
15 सिविल लाइंस-प्रयागराज-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 6000000	1000000 6000000
16 बलरामपुर-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
17 कांसगंज-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2000000	1000000 2000000
18 हापुर-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
19 सम्बल-4752-सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट) , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 3000000	1000000 3000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	25000000 49000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दौ करोड़ पचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ नब्बे लाख



(शैलेश गिरि)

अपर आयुक्त लेखा

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(बजट अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक :: 01 सितम्बर, 2022

आहरण एवं वितरण अधिकारी,

वाणिज्य कर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर, फतेहपुर, झाँसी, वाराणसी,
जौनपुर, बलिया, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बलरामपुर,
कासगंज, हापुड़, सम्भल ।

मुख्यालय के पत्र संख्या-466 दिनांक 29.08.2022 के कम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-07-30प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद संख्या-42-अन्य व्यय के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जाता है । कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन करते हुये आवंटित बजट की सीमा तक सीमित रखें।

कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत करायें । यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये । अतः सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये । उक्त आवंटित धनराशि किसी भी दशा में बैंक/पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट-आवंटन पंजिका के पृष्ठ संख्या-16 पर कर ली गयी है ।

संलग्नक-: यथोपरि ।

(शैलेश गिरि)

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प0प0सं0 एवं दिनांक यथोपरि ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1:-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ कलेक्ट्रेट, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर, फतेहपुर, झाँसी, वाराणसी, जौनपुर, बलिया, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, प्रतापगढ़, सिविल लाइन प्रयागराज, बलरामपुर, कासगंज, हापुड़, सम्भल ।

2:-उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी0एल0सी0, कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(शैलेश गिरि)

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।